



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel. 0177-2658285,
फैक्स/Fax: 0177-2657517



दिनांक. 01.2024

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(e-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय **Diversion of 4.6147 ha of forest land in favor of HPPWD for the construction of Gani to Borani Nala Road Km. 0/00 to 7/200, under the jurisdiction of Nachan Forest Division in District Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/41345/2019) reg.**

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-एपीसीसीएफ (एफसीए), हिमाचल प्रदेश, शिमला-1. पत्र क्रमांक No.Ft. 48-3961/2019(FCA) dated 13.04.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 4.6147 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2023 के अनुपालन में भेजा गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अतः प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे: -

1. The cases involve regularisation of encroachment and violation of FCA and since the road cannot be constructed without having physical and financial sanction of the competent authority, therefore State Govt is required to take legal action against the officials responsible for issuing physical/financial sanction under Section 3A and 3B of the **Van (Sanraksham Evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023** and submit action report in this regard.
2. The State Government is required to examine the role of forest officials and their failures in not getting the work stopped and taking action taken in time and letting the violation go. Action taken in this regard needs to be submitted

यह चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,
ह 0/-
(राजा राम सिंह)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टार्लैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
2. वन मण्डल अधिकारी, नाचन वन मण्डल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: dfonah-hp@nic.in)
3. कार्यकारी अभियंता, गोहर मंडल, एचपीपीडब्ल्यूडी, गोहर, जिला- मंडी, (हिमाचल प्रदेश) (E-mail: ee-goh-hp@nic.in)